

पत्र संख्या : ८ब/४७०१ योजना ज०सं०-१४/२०१८- २०४

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव

सेवा मे,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता – सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : ०८/०३/१९

विषय :-

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-66-नये भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49S470180789660545 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में निधि का आवंटन।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-६९/१८-१९, दिनांक-१४.०२.२०१९ एवं ३७/१८-१९, दिनांक-१९.११.२०१८

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. मे)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग / ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / ८०-सामान्य	789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना / 66- नये भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार	०५-निर्माण, ४५-निर्माण कार्य 49S470180789660545	५६.००

आवंटित राशि - ₹ छप्पन लाख मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध रु. 400.00 लाख (चार करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.१९८८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ एवं १३६२ दि. ०९.०५.२०१६ के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत परिशिष्ट-1 के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

२१६

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

२०३/१९
०३/०३/१९
(रमेश कुमार द्वेरा)
विशेष सचिव


(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-१

✓

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्टंब-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


अनुलग्नक—यथोक्त्।


 (अरुण कुमार सिंह) ७.३.१९
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— २०४

रॉची, दिनांक :— ०८/०३/१९

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/मेदिनीनगर/देवघर/सिकटिया/मधुपुर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 अनुलग्नक—यथोक्त्।



 (अरुण कुमार सिंह) ७.३.१९
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— २०४

रॉची, दिनांक :— ०८/०३/१९

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



(राजेन्द्र प्रसाद)
 उप सचिव (अभि.)


 (रमेश कुमार दुबे)

विशेष सचिव


 (हेमन्त कुमार सिंह) ७.३.१९
 अभियंता प्रमुख-1
 अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक **204**

दिनांक ०८/०३/१९

का अनुलग्नक

परिशिष्ट-१

गांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर फैजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष -789-अनुसन्धित जातियों के लिये विशेष घटक योजना

उप शीर्ष -66-नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन का जीर्णाद्वारा

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्रकोड़े- 49S470180789660545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध 400.00 लाख (चार करोड़) रुपये मात्र।

(एशि. लाख रु. मे.)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अधिकारी	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थिरता		मार्च 2018 तक का व्यय	वर्तमान कुल	On-line Allotment Access No.	अनुचित		
				प्रसंग	सांख्य						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMIRR003)	निनगर मेदिनीनगर	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शीर्ष 4701 में भवनों के सम्पोषण, पुरानी भवनों की मरम्मति के लिये निर्माण कार्य, जल संसाधन विभाग, देवधर एवं मेदिनीनगर परिषेत्राधीन कार्य।	37/18-19 प्र०स्टी दिनांक-19.11.2018 Online AA- 1545/19.11.2018	265.60	0.00	0.00	6.00	6.00	99622	मुख्य अधिकारी, जल संसाधन विभाग मेदिनीनगर के कार्यालय में निर्मित निरीक्षण भवन को सुसज्जित करने का कार्य (प्र०स्टी. रु. 3,52 लाख)।
2	सिंचाई प्रमंडल संख्या-2, सिकटिया, मधुपुर (DGRCMMF72)	सिकटिया	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शीर्ष 4701 में भवनों के सम्पोषण, पुरानी भवनों की मरम्मति के लिये निर्माण कार्य, जल संसाधन विभाग, देवधर एवं मेदिनीनगर परिषेत्राधीन कार्य।	37/18-19 प्र०स्टी दिनांक-19.11.2018 Online AA- 1545/19.11.2018	265.60	0.00	0.00	25.00	25.00	99624	मधुपुर अवस्थित सिंचाई कॉलोनी आवासीय परिसर के आतासों के विशेष मरम्मति का कार्य (प्र०स्टी. रु. 184.18 लाख)।
			जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शीर्ष 4701 में भवनों का सम्पोषण, पुरानी भवनों की मरम्मति के लिये निर्माण कार्य, जल संसाधन विभाग, देवधर परिषेत्राधीन कार्य।	69/18-19 प्र०स्टी दिनांक-14.02.2019 Online AA- 2122/14.02.19	839.66	0.00	0.00	25.00	25.00	99627	सिंचाई कॉलोनी मधुपुर अवस्थित निरीक्षण भवन की मरम्मति, Septic Tank निर्माण एवं चहरादिवारी निर्माण कार्य। (प्र०स्टी. रु. 124.66 लाख)।
			योग		0.00	0.00	56.00	56.00	56.00		

आवंटित राशि – ₹ छप्पन लाख मात्र।

राजेन्द्र प्रसाद

ज्ञा. सचिव (अधि.)

(रमेश कुमार दुबे)
निराकाश सचिव

(हमन्त कुमार सिंह)
आधिकारी प्रमुख-१

अरुण कुमार सिंह
आप्र मुख्य सचिव